

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 ।

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक- 30 दिसम्बर, 2022

कार्यालय आदेश

विषय:-कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 का संशोधन।

पूर्व में वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 के प्रस्तर 2 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के माध्यम से टैक्स ऑडिट इकाईयों में कार्यरत संयुक्त आयुक्त, उप-आयुक्त एवं सहायक आयुक्त को उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 65 एवं 66 के प्रयोजनों हेतु Proper Officer नामित किया गया है।

2. कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 को कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2017-18/07/राज्य कर, दिनांक- 03 अप्रैल, 2018, कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2019-20/172/राज्य कर, दिनांक- 27 मई, 2019 तथा कार्यालय आदेश संख्या-जी0एस0टी0/2020-21/फाइल सं0-118/169/राज्य कर, दिनांक- 04 अगस्त, 2020 के माध्यम से संशोधित किया गया है।

3. उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 70 में Proper Officer को जाँच के समय साक्ष्य हेतु, कोई अभिलेख अथवा कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति को Summon जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है। टैक्स ऑडिट इकाई में कार्यरत अधिकारियों को जाँच के समय कतिपय अभिलेखों या किसी अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने अथवा गवाही हेतु उपस्थित होने के लिए संबंधित व्यापारी अथवा किसी तृतीय व्यक्ति (Third Party) को बुलाये जाने के लिए Summon जारी करने की आवश्यकता पड़ती है।

4. उपरोक्त कार्यगत आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 के प्रस्तर 2 की तालिका की प्रविष्टि संख्या 5 के समक्ष स्तम्भ 3 में अंकित प्रविष्टियां निम्नवत संशोधित की जाती हैं-

क्रसं0	अधिकारी का नाम	उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा
1	2	3
5	1. जोन में तैनात राज्य कर के संयुक्त आयुक्त (टैक्स ऑडिट) 2. जोन में तैनात राज्य कर के उप आयुक्त (टैक्स ऑडिट) 3. जोन में तैनात राज्य कर के सहायक आयुक्त (टैक्स ऑडिट)	65, 66, 70

4.1. उपरोक्त संशोधन मूल आदेश संख्या-278/जी0एस0टी0/2017-18/फाइल नं0-118/राज्य कर दिनांक-01-07-2017 की प्रभावी तिथि अर्थात् 1, जुलाई 2017 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

Atty 23/12/22
(मिनिस्ती एस0)

आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0/ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त सचिव, राज्य कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त जोनल अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. अपर निदेशक, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2 उच्च न्यायालय कार्य0 राज्य कर, प्रयागराज/लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, राज्य कर।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/ (वि0अनु0शा0)/ (टैक्स ऑडिट), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त आयुक्त (उच्चतम न्यायालय कार्य0)/ (उच्च न्यायालय कार्य0), राज्य कर, गाजियाबाद/लखनऊ/प्रयागराज।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी, राज्य कर, मुख्यालय।

Atty

(गीता सिंह)

अपर आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।